



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 338]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 5 सितम्बर 2018

**आरबीआई/डीसीएम (एनई) सं. 631/08.01.01/2018-19.**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उपधारा (1) तथा उप धारा (2) के खण्ड (थ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 28 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन कर निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ

(1) इन नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकार के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से अमल में आएंगे।

2. भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 8 में :-

(क) उप नियम (1) में,

(i) “एक रूपया, दो रूपया, पाँच रूपया, दस रूपया तथा बीस” शब्दों को “पचास रूपये से कम” शब्द में बदला जाए;

(ii) “स्पष्टीकरण” तथा “सारणी 1” के लिए निम्नलिखित बदलाव किया जाएगा, अर्थात्

“स्पष्टीकरण – इस उप नियम हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि पचास रूपये से कम मूल्यवर्ग के कटे फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है, जब प्रस्तुत नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा निम्न सारणी 1 के कॉलम 5 में दर्शाए अनुसार हो।

## **Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 2009**

<b>Parts</b>	<b>Contents</b>
Part I	Introduction
Part II	RBI (Note Refund) Rules, 2009
Part III	Memorandum of Procedure
Part IV	Annex – I
Part V	Annex- II (Security Features)